

बिहार सरकार  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह (कारा) विभाग

प्रेषक,

आनन्द किशोर,  
महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,  
उपकारा, शेरघाटी एवं बगहा।

पटना, दिनांक 23.3.2016।

विषय:- मुख्य शीर्ष- 2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, मांग सं0 22, लघुशीर्ष- 101 जेल, उपशीर्ष- 0003 उप जेल के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु विभिन्न आकस्मिक मदों की निकासी हेतु ₹ 11,00,000 (ग्यारह लाख रुपये मात्र) अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

विपत्र कोड-N-2056001010003

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/बी0एस0जी0-22/2015-295/वि. दिनांक 24.03.2015 ज्ञाप संख्या-17/बी0एस0जी0-05/2015-396/वि0दिनांक-24.04.2015, पत्र संख्या- एम-4-09/2014/5294 दिनांक-17.06.2015, ब17/बी0एस0जी0-300/2015-1047/वि. दिनांक 16.12.2015 एवं ज्ञाप संख्या- 2561/वि0(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि, द्वितीय अनुपूरक आगणन एवं पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि तथा अधीक्षक, उपकारा, बगहा के पत्रांक-346- A दिनांक-26.02.2016 एवं अधीक्षक, उपकारा, शेरघाटी के पत्रांक-447 दिनांक-15.03.2016 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में व्यय हेतु प्रत्येक उपकारा के सामने अंकित राशि का अतिरिक्त आवंटन विभिन्न आकस्मिक मदों में स्वीकृत किया जाता है:-

क्र0 सं0	उपकारा का नाम	कुट सं0 एवं मद	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दों में
1.	शेरघाटी	13 04 - विद्युत प्रभार	3,81,000	1,00,000	4,81,000	चार लाख एकासी हजार रुपये मात्र।
2.	बगहा	21 03 - आहार/पथ्य	78,73,000	10,00,000	88,73,000	अठ्ठासी लाख तिहत्तर हजार रुपये मात्र।
कुल योग			82,54,000	11,00,000	93,54,000	तिरानवे लाख चौवन हजार रुपये मात्र।

(ग्यारह लाख रुपये मात्र)

2. यह आवंटन की स्वीकृति मुख्य शीर्ष- 2056 जेल (गैर योजना), लघुशीर्ष- 101 जेल, मांग सं0-22, उपशीर्ष- 0003 उप जेल (विपत्र कोड-एन0 2056001010003) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में बजट उपबंधित राशि से निर्गत किया जा रहा है।

3. इस आवंटन के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यय में, बिहार वित्तीय नियमावली, वित्तीय नियमावली 2005 (संशोधित) एवं इनके अन्तर्गत निर्गत समस्त नियमों, अनुदेशों तथा वित्त विभाग के ज्ञाप सं0 2561/वि0(2) दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग सहित विभागीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों को भुगतान में प्राथमिकता दी जाय।

6. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष- 2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष- 101 जेल, उपशीर्ष- 0003 उप जेल के तहत होगा। काराधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि संलग्न विवरणी में उल्लिखित मदों की कूट संख्या, मांग संख्या- 22 एवं विपत्र कोड-एन2056001010003 का उल्लेख विपत्रों पर अवश्य करें अन्यथा कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किया जायेगा।

7. सामग्री एवं पूर्तियाँ /आहार/पथ्य मद में आवंटित की जाने वाली राशि से प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम जिन कारा निर्माणशालाओं से सामग्रियों /खाद्य पदार्थों का उठाव किया गया है उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। निर्माणशाला में उत्पादित सामग्री /खाद्य पदार्थों का क्रय किसी भी परिस्थिति में बाजार /आपूरक/अन्य एजेंसी से नहीं किया जाएगा।



8. कारा निर्माणशाला से निर्गत होने वाले सामग्रियों का क्रय उक्त कारा से ही किया जाएगा अथवा किया गया है और किसी अन्य श्रोत से उनका क्रय नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र पर अंकित करेंगे। साथ ही काराधीक्षक विभागीय पत्रांक-1395 दिनांक-03.03.2015 एवं 3804 दिनांक-26.06.2008 के शत-प्रतिशत अनुपालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

9. वर्तमान आवंटन कारा निरीक्षणालय में प्राप्त/अद्यतन संधारित बंदी संख्या के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। काराओं में संसीमित वास्तविक बंदी संख्या एवं क्रय समितियों द्वारा अनुमोदित दर के अधीन ही संगत मदों में राशि का नियमानुसार व्यय किया जायेगा। यदि किसी मद में राशि की बचत संभावित होती है तो ससमय प्रत्यर्पित कर दिया जायेगा। यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता संभावित है तो पूर्ण औचित्य सहित ससमय अधियाचना प्रस्तुत किया जायेगा। स्पष्ट औचित्य के बिना प्राप्त अधियाचना विचारित नहीं की जायेगी।

10. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय तथा एक मद से दूसरे मद में राशि का विचलन नहीं किया जाय।

11. मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी0भी0 नं0 के साथ यथा पूर्व निदेशित ससमय अनिवार्य रूप से निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट-(उप)-03-02/15.....120.....

पटना, दिनांक 3.3.2016।

प्रतिलिपि:-महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट-(उप)-03-02/15.....120.....

पटना, दिनांक 3.3.2016।

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट-(उप)-03-02/15.....120.....

पटना, दिनांक 3.3.2016।

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट-(उप)-03-02/15.....120.....

पटना, दिनांक 3.3.2016।

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।